NIA की आतंकवाद-गैंगस्टर नेक्सस से लड़ाई

प्रलिम्सि के लयि:

राष्ट्रीय अन्वेषण अभकिरण, संगठति अपराध, लश्कर-ए-तैयबा, वर्ष 2008 मुंबई हमले, प्रशासनकि सुधार आयोग

मेन्स के लयि:

संगठति अपराध और आतंकवाद, आतंक-गैंगस्टर गठजोड़, मनी लॉन्ड्रगि/धन-शोधन, हथयिारों की तस्करी।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय अन्वेषण अभकिरण (NIA) ने हाल ही में पंजाब, राजस्थान, हरयिाणा और दल्लिी के पुलसि अधकिारयिों के साथ अपनी पहली बैठक बुलाई, ताकि **आतंक-गैंगस्टर गठजोड़** की बढ़ती चति से नपिटा जा सके।

- यह बैठक आतंकी समूहों, वशिेषकर खालसि्तान समर्थक तत्त्वों (PKE) और पाकसि्तान **से जुड़े** संगठति अपराध से जुड़ी बढ़ती रपिोर्टों के मद्देनज़र हुई।

आतंकवाद-गैंगस्टर नेक्सस/गठजोड़ पर NIA की बैठक के मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **ज़बरन वसूली के लयि कयि गए कॉल की मैपगि:** बैठक में गैंगस्टरों द्वारा वशिेषकर आतंकी सडिकिेट, PKE और **पाकसि्तान स्थति नेटवर्क** से जुड़े लोगों द्वारा की गई ज़बरन वसूली हेतु कयि गए कॉल की मैपगि पर ध्यान केंद्रति कयिा गया।
- **साइबर अपराध और ड्रग तस्करी:** गरिफ्तारी से बचने के लयि गैंगस्टरों द्वारा **साइबरस्पेस का उपयोग** और मादक पदार्थ की तस्करी में उनकी संलप्तिता चर्चा के मुख्य वषिय थे।
- **केंद्र-राज्य समन्वय:** बैठक में संगठति अपराध और आतंकवाद से नपिटने में केंद्र-राज्य समन्वय को सुदृढ़ करने के लयि सहयोगात्मक कार्य योजनाओं एवं **समान मानक प्रचालन प्रक्रयिाओं (SOP)** के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर ज़ोर दयिा गया।
- **रणनीतकि महत्त्व:** बैठक केंद्रीय गृह मंत्री के नर्िदेश के अनुरूप है, जसिमें **NIA के अधकिार क्षेत्र के तहत एक आदर्श आतंकवाद वरिोधी संरचना** स्थापति करने का लक्ष्य है, जसिका उद्देश्य आतंक-गैंगस्टर नेक्सस/गठजोड़ से नपिटने के लयि अधकि एकीकृत दृष्टकिोण अपनाना है।

आतंक-गैंगस्टर नेक्सस/गठजोड़ क्या है?

- **परचिय:** आतंक-गैंगस्टर नेक्सस/गठजोड़ **संगठति अपराध समूहों (गैंगस्टर) और आतंकवादी संगठनों के बीच सहयोग** को संदर्भति करता है।
  - इस गठबंधन में प्रायः अपने-अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लयि संसाधनों, नेटवर्क और संचालन रणनीतकिो साझा करना शामलि होता है।
  - आतंकवाद और संगठति अपराध एक **सहजीवी संबंध** साझा करते हैं, जहाँ **एक के संचालन से प्रायः दूसरे को लाभ** होता है।
  - इन गठजोड़ों में प्रायः अंतरराष्ट्रीय आयाम होते हैं, जनिका संबंध उन देशों से होता है, जो आतंकवादी गतविधियिों का समर्थन करते हैं या इन्हें आश्रय देते हैं।
  - गैंगस्टर प्रायः आतंकवादी समूहों को वत्तिीय सहायता और रसद सहायता प्रदान करते हैं। इसमें **मनी लॉन्ड्रगि/धन शोधन**, मादक पदार्थों की तस्करी और **हथयिारों की तस्करी** शामलि हो सकती है।
  - आतंकवादी संगठन **आपराधकि गरिोहों से सदस्यों की भर्ती** कर सकते हैं, हसिा और कानून प्रवर्तन से बचने में अपने मौजूदा कौशल का लाभ उठा सकते हैं।
- **भारत में गैंगस्टर-आतंकवाद नेक्सस/गठजोड़ के प्रमुख संघर्ष क्षेत्र:**
  - **जम्मू और कश्मीर (J&K):** लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM) **जैसे अन्य पाकसि्तान स्थति संगठन J&K में काम करते हैं, जनि्हें प्रायः** हवाला, **मनी लॉन्ड्रगि और ड्रग मनी के माध्यम से वत्ति पोषति कयिा जाता है।**

            - **वर्ष 1989 में रुबिया सईद का अपहरण** और **वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइंस विमान का अपहरण**, आतंकवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले आपराधिक गतिविधियों को उजागर करता है।
    - **पूर्वोत्तर राज्य:** यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) **और** नगा उग्रवादियों **जैसे समूहों के जुड़े लगातार उग्रवाद से हुई खराब शासन व्यवस्था के कारण अपराधी-आतंकवादी सहयोग को बढ़ावा मिलता है।**
        - **म्याँमार एवं बांग्लादेश में आपराधिक समूहों का सहयोग** समस्या को और बढ़ा देता है, जिससे इस क्षेत्र में अपराध-आतंकवाद का एक सुस्थापित गठजोड़ बन जाता है।
    - **पश्चिमी भारत (महाराष्ट्र और गुजरात): दाऊद इब्राहिम के नेतृत्व वाली कुख्यात 'D-कंपनी' संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच ओवरलैप को दर्शाती है, विशेषकर वर्ष 1993 के मुंबई बम विस्फोटों और** वर्ष 2008 के मुंबई हमलों **में।**
        - **इंडियन मुजाहिदीन (IM)** और **स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI)** जैसे समूह अपने संचालन हेतु धन जुटाने के लिये आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं।
    - **नक्सलवादी/माओवादी ('रेड कॉरिडोर'): मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में फैले** नक्सलवादी आंदोलन **ने संगठित अपराध के साथ भी मज़बूत संबंध प्रदर्शित किया है।**
        - माओवादी समूह जबरन वसूली, अवैध हथियारों के व्यापार तथा अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में समानांतर सरकार चलाने में संलिप्त हैं।
        - उनके कार्यों को आपराधिक गतिविधियों से वित्त पोषित किया जाता है, जो बदले में भारतीय राज्य के खिलाफ उनके विद्रोह को बढ़ावा देता है।
    - **पंजाब:** पंजाब में आतंकवाद का इतिहास, विशेषकर खालिस्तान आंदोलन के दौरान, मुख्य रूप से मादक पदार्थों की तस्करी से वित्त पोषित हुआ था। राज्य में आतंकवाद-मादक पदार्थों का गठजोड़ चिंता का विषय बना हुआ है।
    - **हरियाणा और दिल्ली:** इन क्षेत्रों में गैंगस्टर संबंधी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है तथा आतंकवादी समूहों से इनके संबंध स्पष्ट होते जा रहे हैं।
        - इन **संस्थाओं द्वारा समन्वय और संचालन के लिये** साइबरस्पेस का उपयोग **एक बढ़ती हुई चिंता का विषय रहा है।**

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के विषय में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय: अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े आतंकवाद के बहुमुखी खतरों से निपटने के लिये भारत सरकार ने वर्ष 2008 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की स्थापना की।**
    - इसकी स्थापना वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के प्रतिक्रियास्वरूप की गई थी। इसका गठन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के तहत किया गया है।
    - इसकी शुरुआत **प्रशासनिक सुधार आयोग** सहित विभिन्न विशेषज्ञों और समितियों की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
- **संगठनात्मक संरचना: केंद्रीय गृह मंत्रालय** (मूल मंत्रालय), **नई दिल्ली** (मुख्यालय)।

जाँच प्रक्रिया: राज्य सरकारें केंद्र सरकार (केंद्रीय गृह मंत्रालय) के माध्यम से NIA को मामले भेज सकती हैं। NIA**स्वप्रेरणा से या केंद्र सरकार के निर्देश पर भी मामले की जाँच कर सकती है।**

NIA भारत के बाहर किये गए अनुसूचित अपराधों की जाँच कर सकती है, यदि वे उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

- **अधिदेश और अधिकार क्षेत्र: राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाले अपराधों की जाँच तथा मुकदमा चलाना।**
    - **अधिकार क्षेत्र:** विशिष अनुमति की आवश्यकता के बिना राज्यों में कार्य करता है, NIA (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत भारत के बाहर किये गए अपराधों की भी जाँच कर सकती है।
    - **अनुसूचित अपराध:** NIA, **विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908**, **परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962**, **गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1967**, **अपहरण विरोधी अधिनियम 2016** और अन्य कानूनों के तहत विभिन्न अपराधों की जाँच करती है।
        - सितंबर 2020 में **NIA** के कार्यक्षेत्र का विस्तार करके इसमें आतंकवाद से जुड़े **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत आने वाले अपराधों को भी शामिल किया गया था।**
- **विशेष न्यायालय:** संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के **परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नामित विशेष न्यायालयों** में मुकदमे चलाए जाते हैं।
- **आतंकवाद-गैंगस्टर नेक्सस से संबंधित ऑपरेशन: ऑपरेशन ध्वस्त।**

आतंकवाद-गैंगस्टर नेक्सस से निपटने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **कानून:** **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023** में संगठित अपराध हेतु प्रावधान प्रस्तुत किये जाने के बावजूद इस ढाँचे को**महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA), 1999** जैसे मौजूदा राज्य कानूनों के साथ एकीकृत करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, विशेष रूप से ऐसे **अपराधों की अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति को देखते हुए।**
- **जटिल नेटवर्क:** आतंकवादी और गैंगस्टर दोनों ही समूह **जटिल विकेंद्रित नेटवर्क** का उपयोग करते हैं, जिससे कानून प्रवर्तन के लिये उन्हें ट्रैक करना और उन्हें विघटित करना कठिन हो जाता है।
- **संसाधन साझा करना:** ये समूह अक्सर हथियार, धन और सुरक्षित आवास जैसे संसाधनों को साझा करते हैं, जिससे उनकी परिचालन क्षमता तथा लचीलापन बढ़ता है।
- **कानूनी और न्यायिक मुद्दे:** विभिन्न देशों में **कानून और प्रवर्तन के स्तर अलग-अलग हैं,** जिससे अंतराल उत्पन्न होता है, जिसका लाभ ये समूह

उठाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अक्सर कानूनी और नौकरशाही बाधाओं से बाधित होता है।
    - महत्त्वपूर्ण जानकारी देने वाले गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **प्रौद्योगिकी उन्नति: संचार, एन्क्रिप्शन और साइबर अपराध** हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग से अधिकारियों के लिये उनकी गतिविधियों को रोकना तथा निगरानी करना कठिन हो जाता है।
- **भ्रष्टाचार और घुसपैठ:** कानून प्रवर्तन और सरकारी एजेंसियों के भीतर भ्रष्टाचार इन नेटवर्कों से निपटने के प्रयासों में बाधा डाल सकता है। इसके अतिरिक्त ये समूह **सुरक्षा और अंदरूनी जानकारी हासिल करने के लिये राज्य संस्थानों में घुसपैठ कर सकते हैं।**
- **स्थानीय समर्थन और प्रभाव:** इन समूहों को अक्सर **प्रभावी स्थानीय समर्थन (जैसे स्लीपर सेल) प्राप्त होता है, जो उन्हें सुरक्षा** व संसाधन प्रदान कर सकता है, जिससे उन्हें समाप्त करना कठिन हो जाता है।

आगे की राह

- **विधायी सुधार:** संपूर्ण भारत में संगठित अपराध का एकरूपता से निवारण करने के लिये **BNS, 2023** का प्रभावी कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है।
    - इस कानून में **आपराधिक गिरोहों** और **उनके सदस्यों** को परिभाषित किया जाना चाहिये तथा उनसे निपटने हेतु **कठोर प्रावधान** निर्धारित किये जाने चाहिये, जिसमें ज़मानत प्रावधान और समय सीमा में सख्त जाँच किया जाना शामिल है।
    - **आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने हेतु** कानूनों और विनियमों को सुदृढ़ करना आवश्यक है, जिसमें चरमपंथी समूहों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली **वर्चुअल करेंसी** और **क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म (डार्क नेट)** की निगरानी करने जैसे उपाय शामिल हैं।
    - अपराधियों का समाज में पुनर्निवेशन करने और उनकी आदतन अपराध करने की प्रवृत्ति को कम करने के लिये उनके लिये व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाने चाहिये।
- **नेटवर्क मैपिंग:** सभी ज्ञात आतंकी-गैंगस्टर नेक्सस, उनके दूसरे-पंक्ति कमांडरों और उनके ऑपरेटिव के नेटवर्क का एक व्यापक डेटाबेस विकसित किये जाने की आवश्यकता है। इन नेटवर्क का उन्मूलन करने हेतु लगातार और विस्तृत पूछताछ करने के साथ-साथ छापेमारी की जानी चाहिये।
    - इन समूहों की ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करने और उनकी रोकथाम करने के लिये **उन्नत डिजिटल फोरेंसिक** और **ब्लॉक चेन क्षमताओं** में निवेश करना चाहिये, जिसमें सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड संचार चैनलों का उपयोग शामिल है।
- **संयुक्त अभियान:** अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्कों का उन्मूलन करने और अपराधियों को विधि के तहत सज़ा देने हेतु **INTERPOL** जैसी विदेशी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान की शुरुआत करना चाहिये।
    - **आतंकवादी और आपराधिक नेटवर्क का पता लगाने**, महत्त्वपूर्ण सूचना इकट्ठा करने और उनकी गतिविधियों की रोकथाम करने के लिये निरंतर और परिष्कृत **अंडरकवर ऑपरेशन चलाए जाने चाहिये।**
    - **संगठित गिरोहों का उन्मूलन करने हेतु** छोटे, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर **विशेष कार्य बल (STF)** का गठन किया जाना चाहिये। इन इकाइयों को **बिना किसी नौकरशाही बाधा के छापे, ज़ब्ती और पूछताछ करने का अधिकार** होना चाहिए और आवश्यक रसद और उपकरणों से लैस होना चाहिये।

[illegible]:

प्रश्न. भारत में आतंकवाद-गैंगस्टर गठजोड़, राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव एवं विधि के प्रवर्तन में इससे उत्पन्न चुनौतियों की विवेचना कीजिये। कौन-सी रणनीतियों से इन नेटवर्कों का प्रभावी रूप से उन्मूलन किया जा सकता है?

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

[illegible]:

प्रश्न. आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों तथा अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिये। आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिये उठाये जाने वाले उपायों का भी सुझाव दीजिये। (2021)

प्रश्न. विश्व के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक राज्यों से भारत की निकटता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार एवं बंदूक बेचने, गुपचुप धन विदेश भेजने और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के बीच कड़ियों को स्पष्ट कीजिये। इन गतिविधियों को रोकने के लिये क्या-क्या प्रतिरोधी उपाय किये जाने चाहिये? (2018)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/nia-s-combat-against-the-terror-gangster-nexus